बिजली सुधारों से उपजे सवाल

सुनील

मध्यप्रदेश विद्युत मंडल की बिजली दरें बढ़ाने की ताज़ा याचिका में कई अर्धसत्य पेश किए गए हैं। म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के सामने पेश इस याचिका में कहा गया है :

"म.प्र. राज्य विद्युत मंडल, एशियन विकास बैंक के मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञता से, सुधार एवं पुनर्गठन प्रक्रियाओं की ओर बढ़ चुका है।"

मध्यप्रदेश की बिजली व्यवस्था पूरी तरह एशियाई विकास बैंक के नियत्रण में जा चुकी है, यह सही है। म.प्र. विद्युत मंडल के कई टुकड़े किए जा रहे हैं, जिसे 'पुनर्गठन' कहा गया है, यह भी सही है। लेकिन बिजली व्यवस्था में सुधार तो कहीं दिखाई नहीं देते। बल्कि बिजली व्यवस्था और म.प्र. विद्युत मंडल की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। स्वयं विद्युत मंडल की याचिका में पेश तथ्यों व आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है।

आधी बिजली की बरबादी

जहां बिजली बनती है, वहां से उपभोक्ता तक पहुंचते-पहुंचते प्रदेश की लगभग आधी बिजली बरबाद हो रही है। इन्हें **पारेषण और वितरण हानियां** कहा जाता है। म.प्र. में इसके आंकड़े साथ के चित्र में देखें। किसी भी मानदण्ड से यह नुकसान बहुत ज़्यादा है। एक अच्छी व्यवस्था में ये 20 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मध्यप्रदेश की पारेषण और वितरण हानियां पूरे देश में सबसे ज़्यादा हैं।

क्षमता से कम बिजली उत्पादन

मध्यप्रदेश के बिजली कारखानों में क्षमता से बहुत कम बिजली पैदा की जा रही है। इसे *प्लांट लोड फैक्टर* कहा जाता है। आंकड़े साथ के चित्र में देखें। प्रदेश के बिजली कारखानों की कोयला खपत, विशिष्ट तेल खपत, आक्ज़िलरी खपत, स्टेशन हीट रेट आदि सभी निर्धारित मानदण्डों से बहुत ज़्यादा है। जिस सुधार या कुशल प्रबंध का ढोल पीटा जा रहा है वह दूर-दूर तक नज़र नहीं आता।

जब प्रदेश में ज़बरदस्त बिजली संकट चल रहा हो और पनबिजली घर पानी की कमी के कारण पूरी तरह काम नहीं कर पा रहे हों, तब कोयले से बनने वाली बिजली के कारखानों की यह अव्यवस्था व अक्षमता अक्षम्य ही है।

बढ़ता बकाया

'सुधारों' के तहत बिजली चोरी रोकने और बकाया बिलों की वसूली का बहुत हल्ला किया जा रहा है। इसके लिए गरीबों, किसानों और छोटे उपभोक्ताओं की बिजली